

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग


क्रमांक एफ 65(2)खा.वि./पीएमयूवाई/2022

जयपुर, दिनांक: 02/04/2023

दिशा-निर्देश

माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023–24 के बिन्दु संख्या 5 (ii) राज्य के BPL एवं PM Ujjwala Yojna में शामिल परिवारों को 500 रुपये में LPG गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के लाभार्थियों (BPL एवं PM Ujjwala Yojna में चयनित परिवार) को 500 रुपये में LPG गैस सिलेण्डर का लाभ दिनांक 01.04.2023 से देय होगा।
2. मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में LPG गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया/ पोर्टल के संबंध में दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जावेगें।
3. एक माह में लाभार्थी को अधिकतम एक एलपीजी गैस सिलेण्डर पर ही सब्सिडी देय होगी।
4. BPL एवं PM Ujjwala Yojna के लाभार्थियों द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के बाद प्रतिमाह खरीदे गये एक एलपीजी गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी की राशि देय होगी।
5. लाभार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर खरीद का प्रमाण/रसीद आनलाइन साफ्टवेयर पर अपलोड करने पर ही जन आधार से लिंक बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की जावेगी।


(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, (DOIT) को प्रति प्रेषित कर लेख है कि मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के लाभार्थियों को जनआधार से लिंक बैंक खातें में सब्सिडी राशि ट्रांसफर करने हेतु साफ्टवेयर तैयार किया जावे।
8. निजी सचिव, अतिरक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, वित्तीय सहालकार, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
13. वरिष्ठ तकनीकी, निदेशक, (NIC), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक एवं जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजना के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
15. प्रोग्रामर (DOIT), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त जारी दिशा-निर्देशों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
16. श्री अलोक पाण्डा, कार्यकारी निदेशक, राज्य स्तरीय समन्वयक, आईओसीएल, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर।
17. श्री कुलविंदर सिंह, आईओसीएल, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर।
18. श्री विधीन दीक्षित, उप महाप्रबन्धक, (LPG), एचपीसीएल, 1ST जीवन निधि- 2, एलआईसी इंवेस्टमेन्ट बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
19. श्री बिमलेन्दू मंडल, राज्य प्रमुख (रिटेल), बीपीसीएल, प्लाट न. 2, सहकार मार्ग, 22 – गोदाम, जयपुर।
20. रक्षित पत्रिका।

(कालूराम)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त